

“निर्णय”

“आज दिनांक 10.08.2026 को घोषित किया गया”

- 1- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम का अभियोग है।
- 2- अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के अपराध के आरोप में दोषी ठहराया जाता है।
- 3- अतः अभियुक्त राजू कुशवाहा को स्थान टिकुरिया टोला बायपास मेन रोड, शराब दुकान के पास अपने अण्डा टेला के पास अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने के संशोधन उपलब्ध कराये जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 4- प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री मूल्यहीन होने से नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान – सतना
दिनांक-10.08.2026

सही / -
(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सतना (म.प्र.)

सही / -
(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सतना (म.प्र.)